मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक 9563 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक: 30/09/2011

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
  महात्मा गांधी नरेगा
  जिला–समस्त (म.प्र.) (भिण्ड एवं उज्जैन छोड़कर)

विषयः महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के तहत हक प्रमाणपत्र धारकों को लाभान्वित किए जाने हेतु "वनवासी संवर्धन" उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन।

1. **पृष्ठभूमिः** प्रदेश के सुदूर वन अंचलों में निवास करने वाले ग्रामीण परिवार जिनकी जीविकोपार्जन का साधन वनोपज ही है तथा वनक्षेत्र में अधोसरंचनात्मक विकास की सीमित संभावनाओं के कारण ये ग्रामीणजन विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सके हैं। राज्य शासन की मंशानुसार इन परिवारों को विकास की मुख्य धारा में लाए जाने हेतु शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किया जाकर इनके जीवन स्तर का उन्नयन सुनिश्चित किया जाना है। राज्य शासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत खेती करने के लिए वन अंचलों में रहने वाले इन परिवारों को भूमि की जुताई करने हेतु हक प्रमाण पत्र जारी किए गए। अतः इनकी भूमि को उपजाऊ बनाए जाने हेतु भूमि विकास के कार्य कराए जाकर इन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने के साथ–साथ इनकी स्थायी आजीविका कृषि उपज आधारित किए जाने की महती आवश्यकता है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित हितग्राहीमूलक उपयोजनाओं यथा कपिलधारा, नंदनफलोद्यान, भूमिशिल्प आदि का लाभ हक प्रमाण पत्र धारकों को दिए जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 1425/एनआरईजीएस–एमपी/एनआर–16/2011 दिनांक 09.02.2011 द्वारा के तहत लाभान्वित किए जाने के निर्देश सभी जिलों को दिए गए है। विभाग के इन निर्देशों के अनुक्रम में सभी हक प्रमाण पत्र धारकों की भूमि के समग्र रूप से प्राथमिकता के आधार पर निश्चित समय सीमा में विकास हेतु महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रम मूलक कार्य कराए जाने हेतु

"वनवासी संवर्धन" उपयोजना के नाम से कार्य संपादित कराए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

2. **उपयोजना का उद्देश्यः** प्रदेश के 48 जिलों में 31 मई 2011 की स्थिति में वन अधिकार अधिनियम के तहत कुल 1,43,681 हक प्रमाण पत्र वितरित किए जाना प्रतिवेदित है। जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति परिवार है। विगत वर्षों में वृहद संख्या में योजनांतर्गत कार्य संपादित होने के कारण अकुशल श्रम मूलक कार्य सीमित हो गए हैं। सुदूर ग्रामीण वनक्षेत्रों मे रहने वाले इन जॉबकार्डधारी परिवारों को इनकी रोजगार की मांग अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वनवासी संवर्धन उपयोजना तैयार की गई है। उपयोजना की आयोजना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

(i) **कार्यक्षेत्र** : प्रदेश के 50 जिलों में से (भिण्ड एवं उज्जैन को छोडकर) 48 जिले जिनमें अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 का क्रियान्वयन के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वन मंडलाधिकारी एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय में गठित समिति द्वारा हक प्रमाण–पत्र वितरित किये गये है, उपयोजना क्रियान्वयन का कार्यक्षेत्र रहेगा।

(ii) **कार्य का स्वरूप** : प्रत्येक जिले में चिन्हित किये गये प्रमाण–पत्र धारकों की भूमि के संरचनात्मक विकास हेतु समग्र रूप से परियोजना तैयार की जाएगी। परियोजना के तहत आवश्यकतानुसार निम्न कार्य लिये जा सकेगें :–

a. कपिलधारा उपयोजना के अंतर्गत कूप निर्माण या खेत तालाब या लघु तालाब
b. भूमि समतलीकरण
c. पहाडी क्षेत्र की भूमि को सीढ़ीनुमा (stepping) विकसित कर उपजाऊ बनाना
d. भूमिशिल्प के तहत मेढ़ बंधान
e. नाडेप पिट निर्माण
f. नंदन फलोद्यान के अंतर्गत फलदार पौधा रोपण

उक्त कार्यो के प्राक्कलन एक बार में ही तैयार किये जाकर परियोजना के अंश के रूप में स्वीकृत किये जाऐगें एवं समग्र समन्वय से कार्य संपन्न कराये जाकर परियोजना पूर्ण की जावेगी। प्रत्येक परियोजना में स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो को संलग्न डिजाइन अनुसार पक्का सूचना फलक निर्मित कराया जाकर प्रदर्शित किया जावेगा।

3. **लक्ष्यः** उपयोजना क्रियान्वयन हेतु वन अधिकार अधिनियम के तहत हक प्रमाण–पत्र वितरित करने वाले 48 जिलों को वर्ष 2011–12 हेतु आवंटित लक्ष्य की जिलेवार सूची संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार है।

4. **क्रियान्वयनः** कंडिका 2 (ii) में दर्शाये अनुसार उपयोजना का क्रियान्वयन जिला पंचायतों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किया जावेगाः–

(i) परियोजना प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु जिला कलेक्टर/जिला पंचायत द्वारा हक प्रमाण–पत्र धारकों की जनपद पंचायतवार ग्रामपंचायतवार सूची जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त जानकारी को संबंधित जनपद पंचायतों/ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जाऐगी।

(ii) संबंधित सेक्टर के उपयंत्री एवं पंचायत समन्वयक द्वारा स्थल सर्वेक्षण कर आवश्यकतानुसार लिये जाने वाले कार्यो का चिन्हाकंन किया जावेगा। इस कार्य में सहयोग हेतु वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के फील्ड स्तर पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी एवं क्षेत्र के पटवारी की आवश्यकता होने पर अनुविभागीय अधिकारी से इन्हें निर्देश दिलाये जाने का दायित्व कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत का होगा।

(iii) ग्राम पंचायतवार परियोजना तैयार कर शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किये जाने हेत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया जावें। तदुपंरात ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य येाजना में यह कार्य शामिल किया जावेगा।

(iv) परियोजना में शामिल कार्यो की प्रकृति के अनुसार सामान्यतः इस उपयोजना के कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही संपन्न किये जाऐगे। आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर शासकीय विभागों के माध्यम से ही महात्मा गांधी नरेगा के नियमें के तहत संपन्न करा सकेगे।

(v) इस उपयोजना का सहायक यंत्री/अनुविभागीय अधिकारी ग्रायांसे के समग्र तकनीकी नियंत्रण में निर्माण कार्यो के प्राक्कलन मनरेगा कार्य हेतु लागू महिला दर अनुसूची के अनुसार ग्रायांसे/मनरेगा अंतर्गत पदस्थ तकनीकी अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाऐगें एवं सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी। तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जावेगी।

(vi) कार्य का क्रियान्वय मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप मस्टर रोल पद्धति से कार्य जॉबकार्डधारी परिवारों से कराये जावेगे।

5. **वित्तीय व्यवस्था एवं लेखा संधारणः**

(i) प्रशासकीय स्वीकृति अनुरूप राशि की व्यवस्था महात्मा गांधी नरेगा योजना से की जावेगी।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम एवं दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार लेखा संधारण एवं अंकेक्षण की व्यवस्था होगी।

5. **मूल्यांकन एवं मजदूरी भुगतानः**

(i) कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत होने पर मूल्यांकन का कार्य संबंधित उपयंत्री मनरेगा/ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा साप्ताहिक रूप से किया जावेगा।

(ii) कार्य का मूल्यांकन एवं जॉबकार्डधारी मजदूरों को उनके द्वारा किये गये कार्य की मजदूरी का भुगतान 15 दिवस की समय–सीमा में बैंक/पोस्ट ऑफिस में खोले गये उनके खातों में किया जावे।

(iii) मनरेगा मद की राशि के मूल्यांकित मस्टररोल एवं देयकों के माध्यम से व्यय की गई राशि की एम.आई.एस. प्रविष्टि अनिवार्यतः की जावे।

6. **कार्य पूर्णता अवधिः** उपयोजना के तहत जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार स्वीकृत परियोजनायें मार्च 2013 तक पूर्ण कराई जाना है। प्रत्येक परियोजना को पूर्ण कराये जाने की अवधि प्रशासकीय स्वीकृति जारी दिनांक से सामान्यतः एक वर्ष रहेगी।

7. **अनिवार्य शर्तें:** उपयोजनांतर्गत मनरेगा मद से किये जाने वाले कार्यों की शर्तें

(i) ठेकेदारी पथा प्रतिबंधित।

(ii) मानव श्रम के बदले मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित।

(iii) ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60:40 संधारित करना अनिवार्य ।

(iv) सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य।

(v) जॉबकार्डधारियों का मजदूरी भुगतान निर्धारित समय–सीमा में उनके बैंक/पोस्टऑफिस में खातों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य।

(vi) सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियमों का पालन अनिवार्य।

(vii) प्रत्येक कार्य का एक्जिट प्रोटोकॉल अनिवार्य।

(viii) मनरेगा अधिनियम–2005 में वर्णित प्रावधानों का पालन अनिवार्य।

8. **गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण एवं मॉनीटरिंगः**

(i) कार्यों का संपादन तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कराया जावे।

(ii) कार्यों का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति से कराया जावे।

(iii) जनपद स्तर पर 100 प्रतिशत, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत एवं राज्य स्तर के अधिकारियों एवं क्वालिटी मॉनीटर्स द्वारा समय–समय पर गुणवत्ता निरीक्षण किया जा सकेगा।

(iv) कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग जनपद, जिला एवं राज्य स्तर पर की जावे।

(v) इस उपयोजना अंतर्गत परियोजना के रूप में लिये जाने वाले कार्य चूंकि मनरेगा के विभिन्न उपयोजनाओं के तहत मानिटरिंग किये जा रहे है, अतः

संबंधित उपयोजनाओं की मानिटरिंग में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पूर्ववत शामिल रहेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुये आगामी कार्यवाही की जावे।

24/9/11

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक 9564 /MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2011 भोपाल, दिनांक: 30/09/2011

प्रतिलिपि–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन वन विभाग।
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित कल्याण विभाग।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग।
7. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल।
8. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त।
9. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त। (भिण्ड एवं उज्जैन को छोड़कर)
10. मीडिया/मानिट शाखा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

24/9/11

प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी नरेगा की "वनवासी संवर्धन" उपयोजना के तहत वन अधिकार अधिनियम के तहत हक प्रमाण पत्र धारकों को लाभान्वित किए जाने हेतु जिलेवार लक्ष्य वर्ष 2011–12

क्र.	संभाग	जिला	आवंटित लक्ष्य
1	2	3	4
1	चंबल	मुरैना	14
		श्योपुर	1783
2	ग्वालियर	अशोकनगर	573
		दतिया	142
		गुना	4161
		ग्वालियर	168
		शिवपुरी	1610
3	सागर	छतरपुर	449
		दमोह	803
		पन्ना	3204
		सागर	1094
		टीकमगढ़	501
4	रीवा	रीवा	961
		सतना	1308
		सीधी	1022
		सिंगरोली	3540
5	शहडोल	अनूपपुर	2803
		डिन्डौरी	6695
		शहडोल	2185
		उमरिया	5381

क्र.	संभाग	जिला	आवंटित लक्ष्य
1	2	3	4
6	जबलपुर	बालाघाट	6847
		छिन्दवाड़ा	5739
		जबलपुर	717
		कटनी	728
		मण्डला	5507
		नरसिंहपुर	585
		सिवनी	3408
7	भोपाल	भोपाल	1040
		रायसेन	5171
		राजगढ़	50
		सीहोर	2875
		विदिशा	1263
8	नर्मदापुरम	बैतूल	7469
		हरदा	3026
		होशंगाबाद	3353
9	उज्जैन	देवास	2131
		मन्दसौर	12
		नीमच	483
		रतलाम	527
		शाजापुर	3
10	इन्दौर	अलीराजपुर	5281
		बड़वानी	16338
		बुरहानपुर	2591
		धार	12046
		इन्दौर	330
		झाबुआ	704
		खरगौन	8274
		खण्डवा	8746
योग			143641

सूचना फलक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म.प्र.

हितग्राही का नाम :–

वनवासी सवंर्धन उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही को दिये गये लाभ

क्रं	परियोजना का नाम	कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक	लागत	कार्य प्रारंभ दिनांक	कार्य पूर्णता का दिनांक
1	कपिलधारा कूप खेत तालाब लघु तालाब				
2	भूमि समतलीकरण				
3	सीढ़ीनुमा भूमि विकास				
4	मेढ़बंधान				
5	नाडेप				
6	नंदन फलोद्यान				

परिशिष्ट –1

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनातंर्गत ''वनवासी संवर्धन'' उपयोजना
जनपद स्तर पर मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

जनपद पंचायत ..... जिला..... प्रतिवेदित माह.....

क्र.	जनपद का लक्ष्य	हितग्राहियों की संख्या जिन्हें परियोजना स्वीकृत की गई		स्वीकृत परियोजनाओं के तहत प्रारंभ कार्यो की संख्या								पूर्ण कार्यो की संख्या								सिर्फ पूर्ण कार्यो में व्यय (रू लाख में)								अद्यतन कुल व्यय राशि (पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो में) (रू लाख में)
				कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	
		संख्या	लागत	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतलीकरण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	योग																											

नोट– जिला पंचायत को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक की प्रगति 30 तारीख तक जनपद पंचायत द्वारा भेजी जाना है।

कार्यक्रम अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत .....
जिला .....

परिशिष्ट –2

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनातंर्गत ''वनवासी संवर्धन'' उपयोजना
जिला स्तर पर मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

जिले का नाम.....
जिले का लक्ष्य .....

प्रतिवेदित माह.....

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का लक्ष्य	हितग्राहियों की संख्या जिन्हें परियोजना स्वीकृत की गई		स्वीकृत परियोजनाओं के तहत प्रारंभ कार्यों की संख्या							पूर्ण कार्यों की संख्या								सिर्फ पूर्ण कार्यों में व्यय (रू लाख में)								अद्यतन कुल व्यय राशि (पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यो में) (रू लाख में)
					कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	
			संख्या	परि योजना लागत	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
योग																													

नोट : प्रत्येक माह की 30 तारीख तक जनपद पंचायतो से प्राप्त जानकारी का संकलन व परीक्षण उपरांत माह की 05 तारीख तक परिषद मुख्यालय को जानकारी भेजी जाना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्र समन्वयक
जिला पंचायत .....

परिशिष्ट –3

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनातंर्गत ''वनवासी संवर्धन'' उपयोजना
राज्य स्तर पर मासिक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

संकलित प्रगति माह.....

क्र.	जिले का नाम	जिले का लक्ष्य	हितग्राहियों की संख्या जिन्हें परियोजना स्वीकृत की गई		स्वीकृत परियोजनाओं के तहत प्रारंभ कार्यो की संख्या								पूर्ण कार्यो की संख्या								सिर्फ पूर्ण कार्यो में व्यय (रू लाख में)								अद्यतन कुल व्यय राशि (पूर्ण एवं प्रगतिरत) (रू लाख में)
					कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	कपिलधारा उपयोजना			भूमि विकास				नंदन फलोद्यान उपयोजना	
			संख्या	परि योजना लागत	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ़ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ़ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	कूप	खेत तालाब	लघु तालाब	भूमि समतली करण	सीढीनुमा भूमि विकास	मेढ़ बंधान	नाडेप	नंदन फलोद्यान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
योग																													

राज्य स्तरीय उपयोजना प्रभारी अधिकारी